




12.10.18 वादी के वकील उशीला/काशी
 पक्ष के शायद गलतफहमी पर ध्यान
 देने के लिये 11/11/19 को
 पत्र भेजे


 सहायक सचिव
 (SDO) बाड़मे

25.11.19 व कुलाम फरीद उरा। उनीका नीमकाय
 श्री उमेर के प्रत्युत आदेश नं 1/18
 0-39R-4 सफाई काय 151 एच एम एम
 मीनर को वाहन पत्र नं 151 एच एम एम
 आदेश नं 30/11/19 को
 प्रोटेक्शन पुनः इतरा प्रकटे पर
 इतरा कुलाम उमेर आदेश नं 1/18
 आदेश नं 72/11/19 की प्रकृति में
 प्रोटेक्शन है, उमेर उमेर प्रकृति
 के संलग्न को वा उनीका नं
 1 की उमेर के प्रत्युत उनीका नं 1/18
 लम्बे मीनर को वकील वादी
 उनीका नं 2 की वकील उमेर उमेर
 वकील उमेर को प्रोटेक्शन पर
 उनीका नं 30/11/19 को प्रकृति उनीका नं 30/11/19
 को प्रकृति


 सहायक सचिव
 (SDO) बाड़मे

30.1.19 वकील वादी तथा उनीका नं 1 की वकील उमेर
 वकील वादी उनीका नं 2 की वकील
 उमेर उमेर वकील उमेर उमेर
 उनीका नं 1 वकील उमेर उमेर
 उनीका नं 06.03.19 को प्रकृति


 सहायक सचिव
 (SDO) बाड़मे


13/02/19

वादी मंत्र क्रील के ठेकेदार पर यह
पत्रावली भेजा गया है। वादी मंत्र
क्रील उपरोक्त वादी द्वारा एक ठेकेदार
द्वारा ठेकागत का प्रत्यक्ष किया है
लगातार के मौज्जाज व्यक्तियों द्वारा
लगातार कर पत्रावली के मध्य
राजिनामा करवा दिया है कि कोई
क्रिया नहीं रहा है तबतजा उनको
आरक्षित राजिनामा दिखाने किम जहाँ

पत्रावली
का

प्रकृत तथ्यों एवं पत्रावली
के अन्तर्गत के स्वयं ही
पत्रावली के मध्य किम ठेकागत
की अफता के राजिनामा के
प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते

अतः यह प्रकरण जारी किम
क्रियेज किम जाग है। पत्रावली सुमर
केवल किम दायर दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर